झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग–04

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरुवार, दिनांकः– 11,फाल्गुन,1944 (श0) / 02 मार्च, ,2023 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
42-	अ0सू0–16	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	एफ0पी0ओ0 का गठन।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	24-02-23
43-	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह,	समिति एवं बोर्ड का गठन।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	15-02-23
44-	अ0सू0–11	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	नियुक्ति करना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	24-02-23
45-	अ0सू0–22	श्री रामदास सोरेन,	अनुज्ञप्ति को हस्तांतरित करना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0 मामले	24-02-23
46-	अ0सू0–14	श्री राज सिन्हा,	लाभ सुनिश्चित करना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0 मामले	24-02-23
47-	अ0सू0–04	श्री अमर कुमार बाउरी,	साईकिल वितरण।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	15-02-23
48-	अ0सू0–15	श्री प्रदीप यादव,	लाभ दिलाना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	24-02-23
49-	अ0सू0–27	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	भुगतान करना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25-02-23
50-	अ0सू0–09	श्री बिरंची नारायण,	प्लांट का निर्माण।	जल संसाधन	21-02-23
51-	अ0सू0–31	श्री सरयू राय,	कार्रवाई करना।	जल संसाधन	25-02-23

कृ0पृ0उ0.........2/–

01	02	03	04	05	06
52-	अ0सू0-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	दोषियों पर कार्रवाई।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	15-02-23
53-	अ0सू0-34	श्री नारायण दास,	वसूली करना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25-02-23
54-	अ0सू0-05	श्री अमर कुमार बाउरी,	व्यवस्था करना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	20-02-23
55-	अ0सू0-19	डॉ0सरफराज अहमद,	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	जल संसाधन	24-02-23
56-	अ0सू0-06	श्री नवीन जयसवाल,	आवास बनाना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	20-02-23
57-	अ0सू0-18	श्री प्रदीप यादव,	दण्डित करना।	म0बा0वि0 एवं सा0सुरक्षा	24-02-23
58-	अ0सू0-29	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	टैब देना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	25-02-23
59-	अ0सू0-32	श्री राजेश कच्छप,	आयोग का गठन।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	25-02-23
60-	अ0सू0-23	श्री सुदिव्य कुमार,	स्वीकृति प्रदान करना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	24-02-23
61-	अ0सू0-36	श्री सरयू राय,	उत्पादन बढ़ाना।	कृषि,पशु0 एवं सहकारिता	25-02-23
62-	अ0सू0-08	श्री बिरंची नारायण,	कार्रवाई करना।	अनु0जा0,अनु0 ज0जा0,अल्प0 एवं पि0वर्ग कल्याण	21-02-23
63-	अ0सू0-17	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	कार्रवाई करना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0 मामले	24-02-23
64-	अ0सू0-07	श्री नवीन जयसवाल,	पाँच किलो चावल देना।	खा0सार्व0वि0 एवं उप0 मामले	20-02-23

राँची,
दिनांक-02 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0..............3

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020–.......762........../वि०स०,राँची,दिनांकः–.......01/03/23

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 01/03/23

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020–.......762........../वि०स०,राँची,दिनांकः–.......01/03/23

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 01/03/23

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020–.......762........../वि०स०,राँची,दिनांकः–.......01/03/23

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/J.V.S, T.V शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 01/03/23

गोपी/

उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

अशोक 28/02/23

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–16 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	प्रश्नकर्ता–श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एफ0पी0ओ0 (FPO) योजना के तहत् छोटे एवं सीमांत किसानों को एकीकृत कर उनकी भूमि पर उन्नत तकनीक से कृषि एवं उनकी उपज के विपणन के लिये विशेष योजना झारखण्ड में भी लागू है;	स्वीकारात्मक। नाबार्ड द्वारा FPO योजना की स्कीम झारखण्ड में लागू है। स्कीम के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को एकीकृत कर कंपनी या को–आपरेटिव अधिनियम में निबंधित कराया जाता है ताकि वे संगठित रूप से इनपुट की खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराये तथा कृषि उपज को e-NAM तथा अन्य माध्यम से बाजार तक ले जाकर सही मूल्य दिलवाएँ।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि राज्य में नाबार्ड की योजना के तहत् एफ0पी0ओ0 के गठन की क्या योजना है, और वह कबतक गठित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में नाबार्ड द्वारा FPO का गठन 2015–16 से किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में भारत सरकार के PRODUCE fund के तहत् 57 FPO का गठन किया गया था और FPO को तीन वर्षों तक ट्रेनिंग, सीईओ का वेतन, आफिस का खर्च, गठित करने की संस्था इत्यादि के लिए मदद किया गया। इसके पश्चात् नाबार्ड के PODF-ID फंड से 87 FPO का गठन 2018–19 से किया गया है। इस फंड में FPO को ट्रेनिंग, सीईओ का वेतन, आफिस का खर्च, गठित करने की संस्था इत्यादि के लिए मदद किया जाता है। इसके अलावा FPO को रू. 5 लाख का बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद किया जाता है तथा विपणन के लिए मोबाईल वैन भी दिया जाता है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020–21 से झारखण्ड राज्य में भारत सरकार की 10000 FPO की सेंट्रल सैक्टर योजना में 68 FPO का गठन किया गया और उन्हें 05 वर्षों तक मदद किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–10/2023 543 कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–409 दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–10/2023 543 कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के उप सचिव।

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–11 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में मत्स्य विभाग के अधीन स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 25 प्रतिशत कार्यबल के माध्यम से कार्य सम्पादित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। मत्स्य निदेशालय के अधीन स्वीकृत राजपतित्र पदाधिकारियों के कुल 44 पदों के विरूद्ध वर्तमान में 32 पदों पर पदाधिकारी कार्यरत है, जो स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदों का 72 प्रतिशत है तथा अराजपत्रित कर्मियों के स्वीकृत 444 पदों के विरूद्ध वर्तमान में 116 कर्मी कार्यरत है जो स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदों का 26 प्रतिशत है ।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्यबल (कर्मचारियों/पदाधिकारियों) के पद रिक्त होने से कार्यों के निष्पादन में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है तथा सरकारी राजस्व को भी क्षति हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। मत्स्य निदेशालय के अन्तर्गत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्वीकृत 34 पद के विरूद्ध 30 पदाधिकारी कार्यरत है तथा राज्य के सभी जिलों में राजस्व उगाही हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित है, जिससे सरकारी राजस्व को क्षति नहीं हो रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मत्स्य विभाग के रिक्त पड़े पदों पर तत्काल नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	मत्स्य निदेशालय अन्तर्गत नियुक्ति हेतु 59 मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं 19 निम्नवर्गीय लिपिक की अधियाचना भेजी गयी है एवं शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 1 स्था० /अल्प सूचित प्रश्न/ 04/2023 प०पा० प०पा० 295 दिनांक 01/03/23
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या–400/वि०स० दिनांक 24.02..2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.3.23

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री रामदास सोरेन
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को अनुज्ञप्तिधारक वितरकों के माध्यम से खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती है;	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अन्त्योदय (AAY) परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह तथा पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों (PHH) को प्रति सदस्य 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति सदस्य 05 किलोग्राम प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में उक्त अनुज्ञप्ति धारक अपने परिवारों के रोजगार का साधन है, जिसमें उक्त रोजगार साधन की समय–सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2022 की कंडिका–21 (i) के अनुसार रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में प्रातः 08:00 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक दुकान खोलने का प्रावधान है। आटा चक्की, पेट्रोल पम्प एवं सरकारी नौकरी को छोड़कर शेष कोई भी कार्य जन वितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जा सकता है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में उक्त वितरण प्रणाली व्यवस्था अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारक द्वारा 70–75 वर्ष की उम्र सीमा के बाद या मृत्यु होने की स्थिति में उक्त परिवार के किसी बेरोजगार सदस्य के नाम अनुज्ञप्ति हस्तान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण उक्त अनुज्ञप्ति धारकों को लम्बी सेवा के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अनुशंसित हस्तांतरण नहीं कर पाने पर उक्त परिवार के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार के 60 वर्ष के पूर्व मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है तो उक्त स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा का लाभ अनुमान्य नहीं है। राज्य के जन वितरण प्रणाली को CSC (Comman Service Center) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 10 हजार जन वितरण प्रणाली दुकानों को CSC हेतु चिन्हित किया गया, जिसमें से अबतक 6,647 जन वितरण प्रणाली दुकानों CSC के रूप में विकसित किया जा चुका है। इससे जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के आय में वृद्धि होगी। CSC के रूप में परिवर्तित 283 दुकाने DigiPay के रूप में 508 दुकानें DSP (Digital Sewa Portal) के रूप में एवं 367 दुकानें eStore में रजिस्टर्ड है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित अनुज्ञप्ति धारकों का 60 वर्ष की उम्र सीमा पार करने के बाद या मृत्यु होने की स्थिति में उक्त परिवार के किसी बेरोजगार सदस्य के नाम अनुज्ञप्ति हस्तान्तिरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–10/2023 727 /राँची, दिनांक 28/02/23
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 410, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव।

(46)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राज सिन्हा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के स्तर से गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी योजना का संचालन विगत् 3 वर्षों से किया जा रहा है;	CMSUPPORTS योजनान्तर्गत जनवरी, 2022 से राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित राशनकार्डधारी परिवारों जिनके पास झारखण्ड राज्य में निबंधित On-road पेट्रोल चालित दो–पहिया वाहन है, उन्हें विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन के पश्चात् आवेदन के सत्यापनोपरांत प्रतिमाह रूपये 250/– (रूपये दो सौ पचास) मात्र की सब्सिडी की राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जा रही है।
(2) क्या यह बात सही है कि सब्सिडी योजना शुरू होने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान लाभुकों का आंकड़ा कम हुआ है;	CMSUPPORTS योजनान्तर्गत वर्षवार लाभ प्राप्त करने वाले सुभिन्न लाभुकों की संख्या निम्नवत् है :– **वर्ष** — **लाभ प्राप्त करने वाले राशनकार्डधारियों की संख्या** 2021–22 — 1,74,828 2022–23, (जनवरी, 2023 तक) — 53,773
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार सभी वाहनधारी बी०पी०एल० परिवारों को इसका लाभ सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	CMSUPPORTS योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुकों को ऑनलाईन निबंधन कराने के पश्चात् उनकी पात्रता की जाँचोपरांत PFMS के माध्यम से DBT के तहत राशि का भुगतान किया जाता है। इसके पश्चात् लाभुकों के द्वारा प्रत्येक माह दो–पहिया वाहन प्रयोग करने के संबंध में घोषणा संबंधी ऑनलाईन आवेदन के विरूद्ध सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभुकों की सुविधा के लिए दो–पहिया वाहन प्रयोग करने संबंधी घोषणा संबंधी ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा ई–पॉस में दी गई है इससे लाभुक जन वितरण प्रणाली दुकान में ऑनलाईन आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभुकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। अधिक से अधिक लाभुक इस योजना का लाभ प्राप्त करें, इसके लिए प्रचार–प्रसार भी कराया जा रहा है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–08/2023 726 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 401, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

E:\Vikash PC\Vikash Kumar-2022-23\B Krishna Udaya\Budhan Sabha\Budget Session 2022-23\vidhan sabha Question & Answer 02-03-2023.docx

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–15 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" का लाभ राज्य के किसानों को शुरूआती दौर से मिला रहा था ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जमीन रिकॉर्ड, बैंक खाते का सत्यापन एवं अन्य कई कारणों से मिलान नहीं होने से आधे से अधिक किसान उक्त लाभ से वंचित हो गए ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत किस्त की राशि उन्हीं लाभुकों को विमुक्त की जायेगी, जिनका Land Details Seeding एवं बैंक खाते के साथ Aadhar Seeding हो चुका हो। वर्त्तमान में 12वीं किस्त की राशि कुल 12,61,754 किसानों को विमुक्त की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी किसानों को इसका लाभ मिलने हेतु प्रभावी कदम उठाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त की राशि सभी योग्य किसानों को प्राप्त हो, इस निमित राज्य के सभी उपायुक्तों को सभी योग्य किसानों का बैंक खाता e-KYC, Land Details Seeding, Aadhar Enabled एवं DBT हेतु उपयुक्त करने का निदेश दिया गया है। साथ ही ऐसे किसानों की सूची भी जिलों से साझा की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–12 / 2023 541 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–398 दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–12 / 2023 541 / कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

49

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत 11वीं किस्त के तहत 22.25 लाख किसानों को अनुदान राशि दी गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में 12वीं किस्त की अनुदान राशि भुगतान की मंजूरी दी गई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के 12.75 लाख किसानों को जिनका जमीन के साथ ई–केवाई सी और आधार वेरिफकेशन नहीं हुआ है, उनको भुगतान नहीं किया जायेगा;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत 13वीं किस्त की राशि उन्हीं लाभुकों को विमुक्त की जायेगी, जिनका Land Details Seeding एवं बैंक खाते के साथ Aadhar Seeding हो चुका हो।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन किसानों का जमीन के साथ ई–केवाई सी और आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनका शीघ्र ई–केवाई सी और आधार वेरिफिकेशन कर उन्हें शीघ्र अनुदान की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक ?	इस दिशा में त्वरित कार्रवाई का निदेश राज्य के सभी उपायुक्तों को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–14/2023 540 /कृ0, राँची, दिनांक–01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापं सं0–554 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–14/2023 540 /कृ0, राँची, दिनांक–01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के उप सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो और राजधानी राँची सहित राज्यभर में अवस्थित डैम, बड़ा बांध/तालाब और बड़े प्राकृतिक जलश्रोतों की वर्षों से सफाई नहीं कराए जाने के कारण इनमें अत्यधिक मात्रा में गाद जमा हो गया है, जिससे इनकी जल संचयन की क्षमता काफी घट गयी है और इनका जल भी दूषित हो रहा है, साथ ही इसके अतिक्रमण और घेराबंदी से जलस्तर में भी कमी आई है और लगातार इनका कैचमेंट एरिया हर वर्ष घट रहा है।	आंशिक स्वीकरात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि लगातार इन डैमों में विभिन्न प्लांट, फैक्ट्री और छोटे–बड़े कारखानों के दूषित जल एवं शहर की नालियों, सीवरेज– ड्रेनेज का बिना किसी समुचित ट्रीटमेंट के इनमें लगातार डालने से इनके जल का पी०एच० लेबल काफी बढ़ गया है, जिसके सेवन से आस–पास की आबादी गंभीर रोगों का शिकार हो रही है, क्योंकि इनके जल में गंदगी का मानक 7.2 एनटीयू से अधिक पाया गया है।	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न डैमों यथा पंचेत डैम, मैथन डैम, तेनुघाट डैम, तिलैया डैम, कोनार डैम, हटिया डैम, कॉके डैम, रूक्का डैम, चाण्डिल डैम, मसानजोर डैम इत्यादि एवं अन्य प्रमुख नदियों का जल नमूना संग्राहक एवं विश्लेषण मासिक/त्रैमासिक किया जाता है। विश्लेषण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि किसी भी डैम में PH की मात्रा मानक से अधिक नहीं पाया गया है। डैम के किनारे अवस्थित उद्योगों यथा Tenughat thermal Power Station, M/S Maithan Power Ltd, द्वारा वहिस्राव उपचार (Effluent Treatment Plants) संयंत्र लगाया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त डैमों में जमा गाद की सफाई करवाते हुए कारखानों का प्रदूषित जल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	डैम के किनारे अवस्थित उद्योगों यथा Tenughat thermal Power Station, M/S Maithan Power Ltd. द्वारा वहिस्राव उपचार (Effluent Treatment Plants) संयंत्र लगाया गया है। जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई) अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के गठन से अबतक 1029 अदद् आहर/बाँध/तालाब /मध्यम सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार (गहरीकरण/मजबूतीकरण) कार्य कराया गया है तथा विगत वर्षों में 308 अदद् आहर/बाँध/ तालाब/ मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार (गहरीकरण/मजबूतीकरण) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

51.

श्री सरयू राय , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिल्डिंग बायलॉज–2016 के तहत किसी नदी के किनारा से 15 मीटर क अन्तर्गत किसी तरह के निर्माण या पुर्ननिर्माण की अनुमति नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग ने पत्रांक–71/01.02.2023 द्वारा जमशेदपुर दोमुहान पर सक्षम प्राधिकार की सहमति बिना स्वर्णरेखा नदी में निर्माण के संबंध में कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निदेश दिया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गत दो माह में विभाग अथवा जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना दोमुहान पर स्वर्णरेखा नदी के पेट में दर्जन भर पोकलेन, डोजर, जेसीबी लगाकर अनधिकृत कार्य किया गया है परन्तु मुख्य अभियंता, चांडिल ने सूचना मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि क्या दोमुहान, जमशेदपुर पर स्वर्णरेखा नदी के भीतर विकास कार्य करने की कोई योजना बनी है तथा अनधिकृत कार्य करनेवालों के विरूद्ध कोई कार्रवाई हुई है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	दोमुहान, जमशेदपुर पर स्वर्णरेखा नदी के भीतर जल संसाधन विभाग द्वारा वर्त्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, इस पर मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–31/2022 – 1254 **/राँची, दिनांक** 01/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 499 वि०स० दिनांक 26.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\Note 5\vidhan Sabha\Feb-2023\sarau roy AIP-04.docx

52

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्नकर्ता–श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची
1	क्या यह बात सही है कि राज्य द्वारा संचालित बागवानी मिशन के तहत आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसानों को 2 लाख रूपये की जगह 25 हजार की प्रिजर्वेशन यूनिट वितरित की गई, (प्रभात खबर 05.01.2023 राँची)।	अस्वीकारात्मक। प्रिजर्वेशन यूनिट निर्माण योजना लागत प्रति इकाई 2.00 लाख है, जिसमें अनुदान की राशि 1.00 लाख एवं कृषक अंशदान की राशि 1.00 लाख रूपये निर्धारित है।
2	क्या यह बात सही है कि खराब गुणवत्ता के कारण ज्यादातर यूनिट बेकार हो गए, जबकि 5 साल में 18 करोड़ की राशि खर्च हो गई;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिलों में कार्यान्वित प्रिजर्वेशन इकाई की स्थापना हेतु गढ़वा, धनबाद, बोकारो, साहेबगंज, कोडरमा, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों को कुल 902 प्रिजर्वेशन इकाई की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 902.00 लाख की राशि आवंटित की गयी थी। उक्त आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध 886 इकाई प्रिजर्वेशन इकाई की स्थापना की गयी एवं राशि 866.00 लाख मात्र का व्यय किया गया। दिनांक–05.01.2023 को समाचार पत्र प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार के आलोक में विभागीय आदेश सं0–66 दिनांक–05.01.2023 एवं शुद्धि–पत्र सं0–76 दिनांक–06.01.2023 के द्वारा विभागीय जांच हेतु चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति को निम्न बिन्दु पर जांच करने का आदेश दिया गया :– i. वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक स्वीकृत प्रिजर्वेशन इकाई के संदर्भ में इसका भौतिक सत्यापन तथा वितरित किये गये उपकरण स्वीकृत मानक के अनुरूप है या नहीं एवं इस मद में निर्धारित दर। ii. आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गयी राशि। iii. कृषकों से प्राप्त अंशदान की राशि। iv. बाजार दर से ज्यादा दर पर भुगतान की गयी राशि।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त विभागीय समीक्षोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–03/2023 548 /कृ0, राँची, दिनांक– 01.03.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–38 दिनांक–15.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–03/2023 548 /कृ0, राँची, दिनांक– 01.03.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

53

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दि.–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–34 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कुल 28 लाख 90 हजार 21 किसान निबंधित है;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 31,02,225 किसान निबंधित हैं।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल–47 हजार 945 किसान गलत तरीके से तथा 24 हजार 665 किसान आयकर देने वाले भी खण्ड (1) में वर्णित योजना का लाभ ले लिए हैं, जिसपर अबतक लगभग 22 करोड़ रूपये राशि की निकासी हो चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 49,827 अयोग्य लाभुक एवं आयकर जमा करने वाले लाभुकों से कुल रू. 5252.06 लाख की वसूली की जानी है।
3	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के बाद राज्य सरकार फर्जी एवं अनुचित तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि लेने वाले किसानों से वसूली कार्य शुरू की गयी है, परन्तु सरकार द्वारा उक्त किसानों से वसूली काफी धीमी गति से हो रही है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित योजनान्तर्गत फर्जी एवं गलत तरीके से किसानों द्वारा ली गई पूरी राशि की वसूली करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नही तो क्यों ?	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अयोग्य तथा आयकर जमा करने वाले लाभुकों को भुगतान की गयी राशि की वापसी (Recovery) हेतु भारत सरकार द्वारा निरूपित SOP सभी जिला को उपलब्ध कराते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने का निदेश उपायुक्तों को दिया गया है। अबतक रू. 47.78 लाख की वसूली की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–13 / 2023 542 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–555 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–13 / 2023 542 /कृ0, राँची, दिनांक– 01/03/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–05 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में पेयजल की सुविधा, बिजली की निर्बाध व्यवस्था, खेल सामग्री, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, मेस, व्यायामशाला, कंबल, बेड, गद्दा आदि पर्याप्त नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में प्रभावी "झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली, 2018" (विभागीय अधिसूचना संख्या–327, दिनांक–23.01.2018) के अनुसार छात्रावासों में सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, मेस आदि की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी छात्रावासों में पेयजल की सुविधा, बिजली की निर्बाध व्यवस्था, खेल सामग्री, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, मेस, व्यायामशाला, कंबल, बेड, गद्दा आदि की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	छात्रावसों में बिजली, पानी की व्यवस्था हेतु जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर छात्रावासों का मरम्मति/जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। छात्रावासों में सफाई कर्मी, रात्रि प्रहरी, रसोईया आदि की व्यवस्था एवं मेस संचालन से संबंधित नई योजना का गठन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–03/2023–क– 482 /राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–67, दिनांक–20.02.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

55.

डॉ० सरफराज अहमद , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1975 में देवघर जिला के सिकटिया स्थित अजय नदी से नाला क्षेत्र तक करीब 40510 हेक्टयर खेत की सिंचाई के लिए 10.34 करोड़ की लागत् से 117 कि०मी० लंबी नहर के निर्माण की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा रखी गयी थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विगत् 47 वर्षो में नहर निर्माण के नाम पर करीब 400 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गये परन्तु आजतक खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित सिंचाई परियोजना के लिए अजय नदी पर नहर का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	अजय मुख्य नहर की कुल लम्बाई 110.8 कि०मी० है जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण हो चुका है, नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 में अजय मुख्य नहर के चेन सं० 550.00, 590.00 एवं 1343.00 पर सी०डी० संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त बिन्दुओं के नीचे सिंचाई सुविधा मुहैया नहीं कराया जा सका। क्षतिग्रस्त सी०डी० संरचना का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। आगामी खरीफ में सिंचाई सुविधा मुहैया कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–19/2022 – 1223 **/राँची, दिनांक** 28.02.2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 413 वि०स० दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–18 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में कुल 57379 जरुरतमंदों में कम वजन के घटिया कंबल बांटे गये है ;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत 57379 कंबल का क्रय किया गया। चयनित कंबल का आयाम (99"x66") एवं वजन 2.370 किलोग्राम है, जो निर्धारित मानक के अनुरुप है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त घोटाले में विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण अब तक दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी है ;	यथा कंडिका 1 में वर्णित।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कंबल खरीदारी घोटाले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों को दंडित करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका 1 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–52/2023 – 532 राँची, दिनांक : 01.03.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–412/वि0स0 दिनांक–24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

61

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	**प्रश्न**	**उत्तर**
1.	क्या यह बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को अंतराष्ट्रीय मिलेट (मोटा अनाज) वर्ष घोषित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में मिलेट्स की बुआई के क्षेत्रफल और उत्पादन में विगत पाँच वर्षो में कमी आई है, जबकि देश भर में इनका उत्पादन बढ़ा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2018–19 के उपरांत तीन वर्षो से राज्य में रागी के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि मिलेट्स की पौष्टिकता चावल और गेंहू से काफी अधिक होती है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि मिलेट्स की बुआई के क्षेत्रफल और उत्पादन में हो रही कमी का कारण क्या है और अंतराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में सरकार मिलेट्स का उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है ;	• उत्पादन के लिए गुणवत्तायुक्त बीज, उत्पादित फसल के प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था औसत है। • अंतराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष में मिलेट्स का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में नई राज्य योजना ''झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन'' क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</u>

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–08/2023 537 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–556 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–08/2023 537 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, प्रशाखा–9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23

सरकार के उप सचिव।

(63)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के तहत् लक्षित लोगों के मध्य वितरित किये जाने के लिये 973 क्विंटल अनाज 4 ट्रकों के माध्यम से 24 सितम्बर, 2022, 26 सितम्बर, 2022, 01 नवम्बर, 2022 एवं 02 नवम्बर, 2022 को मांडर गोदाम में भेजे गये, जो गायब हो गये और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि इस मामले की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा की गयी और मामले को सही पाया गया एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर माण्डर थाना में 25 नवम्बर, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राँची द्वारा मांडर गोदाम के प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक श्री विनोद लकड़ा एवं राँची जिला के परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता श्री राहुल कुमार प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उक्त के आलोक में श्री राहुल कुमार प्रसाद को राँची जिला के परिवहन–सह–हथालन कार्य से मुक्त कर दिया गया है एवं राँची जिला के खाद्यान्न उठाव/परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है। तत्काल राँची जिला में खाद्यान्न का परिवहन–सह–हथालन कार्य विभागीय परिवहन के माध्यम से कराया जा रहा है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–09/2023 724 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 411, दिनांक 24.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

E:\Vikash PC\Vikash Kumar-2022-23\B Krishna Udaya\Bidhan Sabha\Budget Session 2022-23\bidhan sabha Question & Answer 02-03-2023.doc10

(64)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 02.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री नवीन जयसवाल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत गरीबों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से पाँच किलो चावल प्रति माह देने का प्रावधान है;	राज्य में जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागु है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को 05 (पाँच) किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजनान्तर्गत 20 लाख गरीब परिवारों का हरा राशनकार्ड जारी किया गया है;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 20 लाख लाभुकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उदभूत रिक्तियों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों से Auto Shifting करते हुए भरी जाती है। लाभुकों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत Shifting के पश्चात् दिनांक 22.02.2023 के आँकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत वर्तमान में 14,75,967 लाभुक आच्छादित हैं।
(3) क्या यह बात सही है कि उक्त 20 लाख गरीब परिवारों को पिछले छः माह से पाँच किलो चावल से वंचित रहना पड़ रहा है और लगातार पीडीएस दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है;	इस योजना के तहत चावल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत की जाती रही है। विगत कई माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण योजना का संचालन प्रभावित हुआ है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हरा कार्ड धारी सभी गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से पाँच किलो चावल प्रति माह देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस योजना के तहत लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर आपूर्ति आदेश निर्गत करने का निदेश जिलों को दिया जा चुका है। इस प्रकार शीघ्र ही लाभुकों को Entitlement के अनुसार प्रतिमाह चावल की आपूर्ति की जायेगी।

ह०/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–04/2023 717 /राँची, दिनांक 28/02/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 68, दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।